तामीलमेंजारीहुए

वकील प्रार्थीगण उप० पूर्वानुसार वास्ते बहस दि० 26/11/18 को पेश है।

प्रार्थना
वकील फसीकेन उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि० 18/12/18 को पेश है।

वकील प्रार्थीगण उप० पूर्वानुसार वास्ते बहस दि० 8/11/19 को पेश है।

8/11/19 वकील प्रार्थीगण उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/11/19 को पेश है।

29/11/19 वकील प्रार्थीगण उप० प्रार्थीगण के वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में उपखण्ड जमवारामगढ़ी ग्राम पं० आवरा संवत् 2071-74 के अनुसार वादीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार है जिसमें प्रार्थीगण का कोई दावा नहीं है। प्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील उपस्थित न्यायालय नहीं आये इसलिए इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। इसलिए पृथक इस्तगासा मामला, पक्षकारों का संयुक्त स्वत्व अपूर्णीय जाते प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दि० 10/4/19 को तामीलशुदा दावा कायम किया जाता है। विपक्ष से इकरारनामा शुदा पत्रावली केवल प्रकाश होकर नम्बर से कब्जे तथा काबिज हाल रहे।